

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केश नं०- 07 / 22-23

मो० तोफेल अहमद बनाम रैयान मौजा-मनान करहरिया

पी०ए० केश नं०- 07 / 18-19

मनमोहन कोड़ा बनाम रैयान मौजा-मनान करहरिया

—: आदेश :—

08.04.2023

वर्तमान वाद आवेदकगण मो० तोफेल अहमद, पे०-स्व० उमर जिलानी, सा०-हीर करहरिया एवं मनमोहन कोड़ा, पे०-विरू कोड़ा, अशोक कोड़ा, पे०-विशु कोड़ा, दोनो सा०-मनान करहरिया, थाना व अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत मौजा- मनान करहरिया नं०-644 के ग्राम प्रधान बहाली हेतु आवेदन दिया। प्रक्रिया प्रारंभ कर नोटिस निर्गत किया एवं अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।


आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कामजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-180/रा०, दिनांक-18.02.2021, पत्रांक-31/रा०, दिनांक-05.01.2023, पत्रांक-243/रा०, दिनांक-17.02.2023 एवं पत्रांक-480/रा०, दिनांक-27.03.2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मो० तोफेल अहमद प्रासंगिक मौजा-मनान करहरिया के पूर्व प्रधान स्व० मो० उमर जिलानी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पूर्व प्रधान स्व० मो० उमर जिलानी की पत्नी जीनत खातुन के द्वारा शपथ पत्र सं०-32043, दिनांक-13.12.2022 के माध्यम से आवेदक मो० तोफेल अहमद को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है। जबकि आवेदक मनमोहन कोड़ा एवं अशोक कोड़ा पूर्व प्रधान के वंशज में नहीं आते हैं, जिस कारण इनका आवेदन खारिज किया जाता है।


आवेदक मो० तोफेल अहमद के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा आवेदक उक्त मौजा के पूर्व प्रधान के पुत्र होने एवं अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-मनान करहरिया नं०-644 का प्रधान आवेदक मो० तोफेल अहमद को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान मो० तोफेल अहमद को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, महागामा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


08.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


08.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।